राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प0 13(5) वित्त/नियम/2017 जयपुर दिनांक 19 JAN 2018

परिपत्र

राज्य सरकार के कर्मचारियों हेतु राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 अधिसूचना क्रंमाक एफ 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 जारी किये गये है। रेप्सर एक्ट, 1999 की धारा 6 के अनुसार इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन उल्लेखित संस्थापनों या कार्यालयों के किसी भी कर्मचारी या निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्य, अध्यक्ष या किसी भी पदधारी आदि के वेतन भत्तों, परिलब्धियों, मानदेय, प्रतिकरात्मक भत्तों आदि का पुनरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा।

राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा पत्र क्रंमाक एफ.2(20)बी.पी.ई./97/1081 दिनांक 27.11.2017 से राजकीय उपक्रम ब्यूरो के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों के सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों से आग्रह है कि उनके विभाग के क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त स्थानीय निकाय, प्राधिकरण, सहकारी निगम /फेडरेशन/संघ, राज्य के विधानमण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन स्थापित विश्वविद्यालयों सहित संस्थान जो राजकीय उपक्रम ब्यूरो के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उनको पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने से पूर्व रेप्सर एक्ट, 1999 के अन्तर्गत वित्त विभाग से सहमति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करवायें।

स्थानीय निकाय, प्राधिकरण सहकारी निगम /फेडरेशन/संघ के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिये जाने के प्रस्ताव के साथ सम्बन्धित संस्थान की निम्नलिखित सूचना आवश्यक रूप से संलग्न की जावे :–

1. वित्तीय वर्ष 2017–18 से पूर्व के तीन वित्तीय वर्षो की वित्तीय स्थिति।
2. वेतन पुनरीक्षित प्रस्ताव का संभावित वित्तीय भार।

www.rajteachers.com

3. कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षित प्रस्ताव में संभावित व्यय के दृष्टिगत संस्था के अलाभकारी स्थिति में न होने बाबत स्थिति।
4. कर्मचारियों को स्वीकृत किये जाने वाले पे–लेवल का पदवार विवरण।

(मंजू संजपाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त विशेष सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
6. अतिरिक्त निदेशक, वित्त विभाग (कम्प्यूटर अनुभाग)।
7. गार्ड फाईल।

09/01/2018
(महेन्द्र सिंह भूकर)
संयुक्त शासन सचिव वित्त (नियम)

www.rajteachers.com

(रेप्सर/2018/01)